

मांग संख्या 79  
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	1.69	1.69	...	2.05	2.05	...	2.34	2.34
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		...	<b>1.69</b>	<b>1.69</b>	...	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>	...	<b>2.34</b>	<b>2.34</b>
उप-राष्ट्रपति										
1. सचिवालय	2012	...	1.64	1.64	...	2.04	2.04	...	2.29	2.29
2. अन्य	2012	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01	...	0.05	0.05
कुल जोड़		...	<b>1.69</b>	<b>1.69</b>	...	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>	...	<b>2.34</b>	<b>2.34</b>

इस में उप राष्ट्रपति के सचिवालय के स्टाफ तथा अधिकारियों पर होने वाले व्यय जिसमें उनके यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्यय तथा उप राष्ट्रपति के विवेकानुदान शामिल हैं, के लिए प्रावधान है। राज्य सभा के सभापति के रूप में भारत के उप राष्ट्रपति के वेतन की पूर्ति मांग सं. 77 की जाती है।